संख्या 250 / 59—2—2012—15(खा) / 2009

प्रेषक,

हरिराज किशोर
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कार्यालय—कु0ग्रा0उ0
डायरी संख्या 150
दिनांक 29/05/2012

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग—2

लखनऊ : दिनांक 28 मई, 2012

**विषय— ई—गवर्नेन्स, कम्प्यूटराइजेशन एण्ड कनेक्टिविटी योजना के अन्तर्गत स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक खादी बोर्ड के पत्र संख्या—32 / खा0ग्रा0बो0 / कम्प्यूटर / ई—गवेर्नेन्स / 2012—13 दिनांक 23.04.2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2012—13 के आय—व्ययक में उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को ई—गवर्नेन्स, कम्प्यूटराइजेशन एण्ड कनेक्टिविटी हेतु प्राविधानित धनराशि रूपये 22.00 लाख के सापेक्ष प्रथम चार माह हेतु लेखानुदान के माध्यम से व्यवस्थित धनराशि रूपये 7.30 लाख (रूपये सात लाख तीस हजार मात्र) की धनराशि निदेशक, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग के निर्वतन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

आचार्य (कम्प्यूटर)
29/05/12
मु0 प्र0 अ0

2. प्रस्तर—1—में स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय आहरण वितरण अधिकारी द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या बी—1—3520 / दस —2011—231 / 2012,दिनांक 16.12.2011 मे ——— शासकीय व्यय में मितव्ययिता बरते जाने के सम्बन्ध में समय—समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3.. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—5 भाग—1के प्रस्तर —369 एच के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2012—13 में महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम,उ.प्र. इलाहाबाद तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही व्यय की गयी धनराशि का मासिक व्यय विवरण प्रपत्र बी.एम.—8 में वित्त (व्यय—नियंत्रण) अनुभाग—6 को उपलब्ध कराया जायेगा।

4. उक्त स्वीकृत धनराशि का लेखा महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद या उनके मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जांच के लिये उपलब्ध रहेगा। यह लेखा कम्प्ट्रोलर एण्ड. आडिटर जनरल या उनके द्वारा मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा टेस्ट आडिट के लिये उपलब्ध रहेगा।

5. उक्त स्वीकृत धनराशि से होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2012–13 के आाय–व्ययक की अनुदान संख्या–5 के अर्न्तगत लेखा शीर्षक "2851–ग्राम तथा लघु उद्योग–आयोजनेत्तार –105–खादी ग्रामोंद्योग– 24– ई–गवर्नेन्स,कम्प्यूटराईजेशन एण्ड़ कनेक्टिविटी–20– सहायता अनुदान– सामान्य (गैर वेतन) मद" के नाम डाला जायेगा।

6. यह आदेश वित्त (आय–व्ययक)अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–बी–1–547/दस–2012, दिनांक 20.03.2012 में की गयी व्यवस्था के अनुसार वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा रही है।

भवदीय,

(हरिराज किशोर)
प्रमुख सचिव।

संख्या–250(1)/59–2–2012–15(खा)/2009 तद् दिनांकित।

प्रतिलिपि निमलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलहाबाद
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4. वित्त(आय–नियंत्रण)अनुभाग–6/वित्त(आय–व्ययक)अनुभाग–1/औघोगिकविकास अनुभाग–2
5. निदेशक,वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय,125 जवहार भवन,लखनऊ।
6. मुख्य कार्यापालक अधिकारी, उ0प्र0,खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, संगम पैलेस,उ0प्र0 इलाहाबाद।
8. एन0आई0सी0 नियोजन विभाग।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(आर0 डी0 कल्याण)
अनु सचिव।